उत्तराखण्ड शासन,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2
संख्या – /16–XIX–2/12 खाद्य/2011
देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2016

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 185/16–XIX–2/12 खाद्य/2011 दिनांक 23.05.2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।

संख्या –/16–XIX–2/12 खाद्य/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को वर्ष 2016 के आगामी असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।

संख्या 189/16–XIX–2/12 खाद्य/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
13– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
14– अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोपरि

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अनुभाग–2
संख्या 185 /16–XIX–2/12 खाद्य/2008
देहरादूनः दिनांकः 23 मई, 2016

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68, सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) (घ) (च) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1			स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
3.(1)(ख)	जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 10,176/– (रूपये दस हजार एक सौ छियत्तर मात्र) प्रति माह मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 300/–(रूपये तीन सौ मात्र) प्रति बैठक मानदेय प्राप्त करेगा।	3.(1)(ख)	जिला फोरम का पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य रूपये 10,176/– (रूपये दस हजार एक सौ छियत्तर मात्र) प्रति माह मानदेय प्राप्त करेगा।

)(घ)	जिला फोरम का सदस्य रूपये 1,800/–(रूपये एक हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी हो।	3.(1)(घ)	जिला फोरम का पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य रूपये 1,800/– (रूपये एक हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गयी हो।
3.(1)(च)	जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 1,830/– (रूपये एक हजार आठ सौ तीस) प्रति माह वाहन भत्ता और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 50/–(रूपये पचास मात्र) प्रति बैठक वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।	3.(1)(च)	जिला फोरम का पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य रूपये 1,830/– (रूपये एक हजार आठ सौ तीस) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।
नियम 6 के उपनियम (1) खण्ड (क)(घ)(ड़) का संशोधन		4.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
6.(1)(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो बैठक के लिए प्रतिदिन रूपये 500/–(रूपये पांच सौ मात्र) का संचित मानदेय प्राप्त करेगा। राज्य आयोग के सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हैं, तो प्रतिमास रूपये 15,262/– (रूपये पन्द्रह हजार दो सौ बासठ	6.(1)(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो बैठक के लिए प्रतिदिन रूपये 500/–(रूपये पांच सौ मात्र) का संचित मानदेय प्राप्त करेगा। राज्य आयोग के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य प्रतिमास रूपये 15,262/– (रूपये पन्द्रह हजार दो सौ बासठ मात्र) का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा।

	मात्र) का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं तो प्रति बैठक के लिए रूपये 400/– (रूपये चार सौ मात्र) का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा।		
6.(1)(घ)	राज्य आयोग के सदस्यगण रूपये 2500/– (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।	6.(1)(घ)	राज्य आयोग के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य रूपये 2500/– (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।
6.(1)(ङ)	राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के सदस्यों को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है तो वह प्रतिमाह रूपये 3,000/– (रूपये तीन हजार मात्र) आवासीय भत्ता प्राप्त करेगा।	6.(1)(ङ)	राज्य आयोग के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के सदस्यों को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है तो वे प्रतिमाह रूपये 3,000/– (रूपये तीन हजार मात्र) आवासीय भत्ता प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी),
प्रमुख सचिव